कार्यालय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

कमांक 75 /छात्र कल्याण/2020 बिलासपुर दिनांक 18.11.2020

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष, /अधिष्ठातागण
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ ग)

विषयः— छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत छात्र—छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति बाबत।

महोदय/महोदया,

विगत वर्षो की भांति विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में सत्र 2020—2021 में प्रवेषित अर्हतादायी छात्र — छात्राओं को छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत छात्र वृत्ति का लाभ दिया जाना है। उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने वाले छात्र — छात्राओं से निर्धारित आवेदन पत्र भराये जाने हैं। आवेदन पत्र की कमांक 01 से 22 तक समस्त प्रविष्टियां भरना अनिवार्य है। अर्हतादायी छात्रों के आवेदन पत्र के साथ अर्हता की पुष्टि हेतु वांक्षित अभिलेखों को संलग्न करते हुए संकायाध्यक्ष, दिनांक 21.12.2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करेगें । संबंधित आवेदन पत्र एवं छात्र कल्याण योजनाओं की साफ्ट कापी/ हार्ड प्रति प्राप्ति हेतु, विश्वविद्यालय के वेब पटल का अवलोकन करे । कोविड —19 की परिस्थिति को देखते हुये विद्यार्थी विश्वविद्यालय के बेब पटल से आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सभी प्रविष्टियों को सावधनी पूर्वक भरने एवम् अपने हस्ताक्षर करने के उपरांत सभी सम्बन्धित स्वहस्ताक्षारित अभिलेखों के साथ ई-मेल संलग्नक के द्वारा विभागाध्यक्ष को 15.12.2020 तक प्रेषित करेगें । तत्पश्चात विभागाध्यक्ष अभिलेखों को सत्यापित कर संकायाध्यक्ष को.17.12.2020 तक प्रेषित करेगें। संकायाध्यक्ष अपने अध्ययनशाला के समस्त आवेदनों पर हस्ताक्षरोपरांत 21.12.2020 तक अधिष्ठाता , छात्र कल्याण कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करेगे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।

उक्त जानकारी से छात्र — छात्राओं को सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराते हुये इस सूचना को विभाग के सूचना पटल पर भी चस्पा करायें ।

आदेशानुसार

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पृ0क0 76 /छात्र कल्याण/2020, बिलासपुर दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपिः—

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर माननीया कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, विभिन्न अध्ययनशालाओं की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. मुख्य छात्रवास अधीक्षक/अधीक्षक बालक/बालिका छात्रावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. अध्यक्ष, संगणक संस्थान की ओर विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर अपलोड करने बाबत ।
5. कार्यालय प्रति ।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण